20-6-19	वकील प्रार्थी उप० / बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय उ०० पत्रावली दि० 27-6-19 को पेश हो।
27-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/आपत्ती/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-8-19 को पेश हो। — रीडर
26-8-19	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/ अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 24-10-19 को पेश हो। — रीडर
24-10-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/आपत्ती/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-12-19 को पेश हो। — रीडर
26-12-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/आपत्ती/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-2-2020 को पेश हो। — रीडर
5-2-2020	वकील प्रार्थी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.A. पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 28-2-2020 को पेश हो।
28-2-2020	वकील प्रार्थी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.Act खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
77/2019	12.3.2019	28-2-2020

राजूलाल पुत्र विजयपाल उर्फ सरदार, मीना निवासी बाढ कोटडी तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री मो0 इस्लाम खान, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी आज से करीब 20 साल पूर्व ग्राम कोडियाई तह0 बोली मे निवास करता था लेकिन बाद मे वह ग्राम कोडियाई को स्थायी रूप से छोडकर ग्राम बाढ कोटडी मे निवास कर रहा है। ग्राम मे प्रार्थी के पिता को राजूलाल पुत्र विजयपाल व राजूलाल पुत्र सरदार दोनो नामों से ही जाना जाता है तथा ग्राम बाढ कोटडी मे प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र सरदार पुत्र सुरज्या के नाम से हैं प्रार्थी के पिता के दो नाम दर्ज होने से प्रार्थी को सरकारी कार्यो मे काफी व्यवधान का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 72, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 103, 103/424 स्थित ग्राम बाढ कोटडी मे प्रार्थी के पिता का नाम विजयपाल दर्ज है तथा अन्य रिकार्डो मे प्रार्थी के पिता का नाम सरदार दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पिता का नाम उक्त जमाबंदी मे विजयपाल उर्फ सरदार दर्ज किया जावें तथा जमाबंदी मे प्रार्थी का निवास कोडयाई तहसील बौली के स्थान पर बाढ कोटडी तह0 गंगापुर सिटी दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 68 ग्राम बाढ कोटडी, फोटोकॉपी आधार कार्ड राजूलाल, फोटोकॉपी भामाशाह कार्ड, फोटोकॉपी राशनकार्ड, फोटोकॉपी बैंक पास बुक, फोटोकॉपी मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी वोटर आई डी सरदार व, राजूलाल, फोटोकॉपी विक्रय पत्र बहक राजूलाल पुत्र विजयपाल पेश किए हैं।

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/471 दिनांक 24.4.2019 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम एवं निवास स्थान सही दर्ज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति विक्रय पत्र दिनांक 24.9.1998 के अनुसार प्रार्थी ने भूमि केदार, दुर्गा पिता रामकुवार आदि से क्रय की है। जिसमे उसने अपने पिता का नाम विजयपाल अंकित कराया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता को तीन नाम सरदार, नत्थू, विजयपाल पुत्र सुरज्या के नाम से जाना जाता था। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे अपने पिता का नाम राजूलाल पुत्र विजयपाल उर्फ सरदार दर्ज करवाना चाहता है। जिसका कोई औचित्य समझ मे नही आता है। क्योकि प्रार्थी के पिता के नाम के रूप मे विजयपाल उर्फ सरदार नाम से सम्बधित कोई भी दस्तावेज प्रार्थी ने उपलब्ध नही कराया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपने पता ग्राम बाढ कोटडी दर्ज कराना चाहता है जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो मे ग्राम का नाम कोटडी अंकित है। इस प्रकार दस्तावेजो मे और चाही गई रिलीफ मे भिन्नता होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-2-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.26 16:22:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: